2.11.20. वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को [illegible]

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन [illegible]

किया। वाद नहीं डिग्री किया जाता है [illegible]

विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखाया गया। [illegible]

शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली [illegible]

तैयार होगा बाद तकमील दाखिल [illegible]

जावे। निर्णय खुले न्यायालय [illegible]

सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा— श्री मुकुट सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
11.03.2020	02.11.2020

उनवान

हरपाल सिंह पुत्र हरिपाल सिंह जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब (भूमि धारी) पैरोकार सरकार तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:— प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व राज्य सरकार के परिपत्र 06.10.09 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012

.....

उपस्थितिः—
1. श्री संजय यादव वकील प्रार्थीगण की और से।
2. अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार

—: निर्णयः—

पत्रावली पेश हुई । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः— वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास के हाल आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. जो कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा का था , जिसका साबिक खसरा नम्बर 941 मिन रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा किस्म ढहरी अव्वल का काबिज कौडासिह पुत्र मिठठासिह कोम लबानासिख बोलनी था मौजदा वाद साबिक खसरा नम्बर 941 मिन रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा नम्बर 963 मे से 1 बीघा 08 बिस्वा रकबा के बाबत प्रस्तुत किया है वाद के जेरकार रहते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। बाद स्वीकार उक्त प्रार्थना पत्र विवादित आराजी का हाल खसरा नम्बर बाद सेग्रीकेशन 1276/963 रकबा 1.70 हे0 बना ,जो आराजी वाद विवादित आराजी कहलायेगी।

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 941 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा मटियार अ0 ढहरी रकबा था जिसका अंकन साबिक जमाबन्छी सम्वत 2003 मे दर्ज है जिस पर अलौटी कौडासिह पुत्र मिठठासिह सम्वत 2011 मे बतौर पुरूषार्थी हिस्सानुसार काबिज काश्त था तत्पश्चात साबिक जमाबन्दी सम्वत 2015 एवं जमाबन्दी सम्वत 2019 तक निरन्तर काबिज काश्त होकर जोत बहा काश्त करता था अलौटी कौडासिह के नाम का अंकन विधिवत खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 से 2023 मे भी दर्ज किया हुआ है एवं बतौर गैरखातेदार कौडासिह का नाम दर्ज हो रहा है अर्थात भारत मे विस्थापित होने पर उपरोक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 941 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा मे से 1 बीघा 08 रकबा पर बदस्तूर कोडासिह जोत बहा काश्त करता रहा है किन्तु वक्त सैटिलमेन्ट

63 कायत करते वक्त साबिक खसरा नम्बर 941 को शामिल करते हुए खिलाफ कानून का एवं खिलाफ रिकार्ड के भूड अव्वल ढहरी को बजंड कदीम किस्म अंकित करते हुए नम्बर 963 रकबा 2.34 है0 कायम कर दिया गया। चूकी कोडासिह अनपढ वो जमीदार व्यक्ति था जिसकी अज्ञानतावश ऐसा हुआ है नकल जमाबन्दीयात सम्वत 2003, 2011, खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 लगायत 2023 सलग्न वाद पत्र है।
वादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 है0 मे से रकबा 1 बीघा 08 कबा पर कोडासिह काबिज होकर काश्त करता था जिसने अपनी स्वेच्छा से अपने कब्जे की आराजी रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 941 मिन था बेचान का मिन वादी से तय करते समय अपनी पारिवारिक जरूरतो हेतु मुबलिग 250,000 रू. मे वादी चान कर विधिवत इकरारनामा बेय दिनांक 25.11.2011 को स्टाम्प खरीद कर उसे विधिवत र कराते हुए सम्पूर्ण विकय राशि प्राप्त कर कब्जा आराजी पर वादी को सौप दिया था बेरोज द से वादी ही सालिम रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा पर काबिज है मौके पर आज भी वादी ही बिज काश्त है फसल बोता वो दरो करता आ रहा है। वास्ते मुलाहिजा प्रमाणित प्रति करारकनामा दिनांक 25.11.2011 सलग्न वाद पत्र किया जा रहा है।

अलौटी कोडासिह पुत्र मिठठासिह कौम लबानासिख मुतनाजा आराजी पर 60–65 वर्षो अर्थात सम्वत 2011 से निरन्तर काश्त करता रहा, जिसने अपनी स्वेच्छा से अपने हकूक आराजी का बेचान दिनांक 25.11.2011 को वादी को करते हुए सम्पूर्ण विकय राशि प्राप्त कर कब्जा सोप दिया, उसके बाद वादी आराजी पर निरन्तर बैतोर खरीददार काबिज काश्त चला आ रहा है बाद बेचान अलौटी का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध वो सरोकार अथवा कब्जा काश्त नही रहा है बल्की वादी मौके पर काबिज है और वादी को अलौटी कोडासिह की भांती आराजी पर कानूनी हक हकूक प्राप्त हो चुके है ऐसी सूरत मे वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कोष कराकर हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है अतः दावा इश्तकरारहक दायर करना लाजिम आया है।

अतःप्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः–

1. यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 है0 मे से 1 बीघा 08 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 941 मिन रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का जरिये इकरारनामा बैय दिनांक 25.11.2011 के काबिज काश्तकार खरीददार मौका पर काबिज वो दखिल है जो काबिज काश्त रकबा है ऐसी सूरत मे वादी आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा करा कर सनद खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है एवं इस प्रकार की घोषणा वादी कराने के अधिकारी है।
2. यह है कि मौजूदा जमाबन्दीयात मे जो मुतनाजा पर बंजड सिवायचक का अंकन दर्ज रिकार्ड हो रहा है जो खिलाफ कानून, खिलाफ मौका वो रिकार्ड एवं हकूक वादी के विरूद्व नल एण्ड वाईड है काबिल दुरूस्ती है जिसे रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा की जद तक हजफ कराया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
3. खर्चा मुकदमा का वादी को दिलाया जावे। दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे, अता फरमायी जावे।

रकबा 1=08बीघा
मिठ्ठा सिहं कौम लबाना सिख

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया प्रतिवादी द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. जो कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 941 मिन रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा का काश्तकार मिठठासिह पुरूषार्थी निवासी बोलनी दर्ज साबिक चला है हाल आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे0 सिवायचक बजंड किस्म दर्ज सरकारी खाता है। साबिक जमाबन्दीयात वो खसरा गिरदावरी मे कोडासिह पुरूषार्थी के नाम का अंकन दर्ज है कोडा सिह के कब्जे काश्त का रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा को वादी खरीद करना अंकित करता है वादी ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6.9.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.3.2012 अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण मे आधार पर कीमत भूमि जमा राजकोष कराकर खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद किया है जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को है। हाल खसरा नम्बर 963/2.34 हे. किस्म सिवायचक बंजड कदीम सिवायचक दर्ज खाता सरकार है जिससे राज्य सरकार के हित प्रभावित होते है राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6.9.2009 के आधार पर प्ररकण श्रीमान न्यायालय क्षेत्राधिकार मे आता है।

जबाब प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) पेश होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 941 मिन रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा का विकेता कोडासिह पुत्र मिठठासिह कब्जेकाश्त की आराजी है ।

जिम्मे वादी

2. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 941 मिन रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा कब्जे काश्त की आराजी है।

जिम्मे वादी

3. आया भू. प्रबन्ध विभाग द्वारागलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 941 मी. रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा को हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे शामिल करते हुए बजंड दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

4. आया वादी आराजी उक्त पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार खातेदार प्राप्त करने का अधिकांरी है।

जिम्मे वादी

5. आया प्रतिवादी आराजी उक्त पर वादी का कोई सम्बध सरोकार नही है दावा वादी काबिले खारिज है।

जिम्मे प्रतिवादी

6. अनुतोष

बाद कायमी तनकीयात वकील वादी द्वारा साक्ष्य मे शपथ पत्र राजपाल पी.डब्ल्यू 1 , पवन कुमार पी.डब्ल्यू 2, पेश किये। पी.डब्ल्यू 1 प्रदर्श कलमबद्व कराये गये। नकल जमाबन्दी सम्वत 2011 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 प्रदर्श 4 , विधिक नोटिस प्रदर्श 5, इकरारनामा दिनांक 25.5.2011 प्रदर्श 6 पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये।

वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को किये जाने की इश्तदुआ की। तनकीवार विवरण निम्न प्रकार से है:—
वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका सबिक खसरा नम्बर 941 मिन रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा का विकेता कोडासिह पुत्र उतैसिह कब्जेकाश्त की आराजी है । इस तनकी का भार वादी पर है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का सांबिक खसरा नम्बर 933मी रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा , 934 मी. रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा , 939/1 रकबा 0–09 बिस्वा, 939/2 रकबा 0–11 बिस्वा, 940 मी. 1–03 बिस्वा, 941मी. रकबा 1–08 बिस्वा, 942मी. रकबा 0–15 बिस्वा, 943 मी. रकबा 0–17 बिस्वा, 944 रकबा 0–13 बिस्वा, 950मी. रकबा 2–06 बिस्वा, 953मी. रकबा 2–00 , 954मी. रकबा 2–11 बिस्वा, 957 रकबा 1–16 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी पैमूद हुए है। तथा सेग्रीकेशन विवादित आराजी के हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास कायम हुआ। प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2011 साबिक खसरा नम्बर 941 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा कोडासिह वेगरा पुरूषार्थी सा. देह दर्ज रिकार्ड है प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 के कांलम सख्या 5 मे साबिक खसरा नम्बर 941 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा मे कोडासिह सुमरसिह समभाग शरणार्थी किस्म मटियार अव्वल ढहरी 3बीघा 02 बिस्वा गैर.मु. झेरा 01 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। तथा प्रदर्श 3 मे भी उक्तानुसार ही रिकार्ड दर्ज है। तथा प्रस्तुत छाया प्रति गिरदवारी सम्वत 2016–19 मे कोडा सिह द्वारा ही खरीफ , रवी की फसल का अंकन है। जिससे यह बाखुबी साबित होता है कि आराजी विवादित कोडासिह की कब्जे काश्त की आराजी थी। इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

2. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 941 मिन रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा कब्जे काश्त की आराजी है। इस तनकी का भार वाद पर है जैसा की तनकी नम्बर मे वर्णित किया गया है कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 941 मिन कोडा सिह वेगरा की कब्जे काश्त की आराजी थी। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी उक्त को सिवायचक दर्ज कर दिया है चूकी आराजी विवादित हाल 963 रकबा 2.34 हे. के साबिक खसरा नम्बर 941 मिन मे से 1 –08 बिस्वा वादी द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 24.05.2011 जो प्रदर्श 6 है के द्वारा खरीद की गई। तथा बाद सेग्रीकेशन विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 कायम हुए। वक्त खरीद से ही वादी का कब्जा है तथा वर्तमान मे भी वादी का ही कब्जा काश्त है जो तहसीलदार किशनगढबास द्वारा अपने पत्र कमाक/राजस्व/20/244 दिनांक 08.10.2020 के साथ सलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का 29.09.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. वाके ग्राम बोलनी जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता सख्या 1 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 किस्म बजड (सिवायचक) मे से 1 बीघा 08 बिस्वा यानी 0.35 हे. रकबजे पर राजपालसिह पुत्र हरिपाल जाति जाट निवासी बासडा रोड किशनगढबास का कब्जा है जिसमे वर्तमान मे जोत लगाई

जिसकी रिपोर्ट धारा 91 के तहत कर दी गई है। तथा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत साबिक खसरा नम्बर 941 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा किस्म भूड अव्वल ढहरी 3 बीघा बिस्वा , गैर मु0 नदी 1 बिस्वा कोडासिह वैगरा पुरूषार्थी सा. देह दर्ज रिकार्ड है।जिससे बाखूबी साबित होता है विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त की आराजी है आज भी वादी का ही कब्जा है इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

आया भू. प्रबन्ध विभाग द्वारागलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 941 मी. रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा को हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे शामिल करते हुए बजंड दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर था इस तनकी को सिद्व करने के लिए वादी ने छाया प्रति मिलान क्षेत्रफल सलग्न वाद किया हुआ है जिससे साबित है कि साबिक खसरा नम्बर 941 मी रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा को खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 मे शामिल किया गया है तथा बाद सेग्रीकेशन 963 का विवादित खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. बना है तथा नकल जमाबन्दी भू. प्रबन्ध सम्वत 2029 के अवलोकन से साबित है कि अलौटशुद्वा भूमि को भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. तथा बाद सेग्रीकेशन खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. दर्ज करते हुए सिवायचक बजंड दर्ज किया है जबकी भू. प्रबन्ध को पूर्व रिकार्ड अनुसार ही इन्द्राज दोहराया जाना चाहिये था। अतः यह तनकी बहक वादी विरूक्ष प्रतिवादी तय की जाती है।

4. आया वादी आराजी उक्त पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 से यह बाखुबी साबित हो चुका है आराजी विवादित कोडा सिह की कब्जे काश्त की आराजी है जो साबिक रिकार्ड प्रदर्श 1 लगायत 3 से बाखूबी सिद्व होता है तथा छाया प्रति सलग्न गिरदावरी से भी विक्रेता द्वारा फसल काश्त किया जाना सिद्व होता है कोडासिह द्वारा आराजी विवादित मे से 1–08 बिस्वा जर्ये इकरारनामा दिनांक 25.05.2011 के द्वारा कय किया गया है जो प्रदर्श 6 से बाखूबी सिद्व होता है तथा वर्तमान मे तहसीलदार एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। इसलिए वादी का विवादित आराजी पर कब्जा बाखूबी सिद्व होता है राज. सरकार के परिपत्र क. प. 1 (15)राज–पुनर्वास/2009 दिनांक 30.3.2012 के बिन्दु सख्या 5 मे उल्लेख किया हुआ है कि " ऐसे व्यक्ति जिन्होने इस परिपत्र मे उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारो से बिना किसी विक्रय पत्र या इकरारनामा के भूमि कय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हो , उन्हे सक्षम न्यायालय से स्वामित्व / कब्जे के बारे मे निर्ण करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात बिन्दु सख्या 3 के अुनसार नियममितिकरण शुल्क व शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेगे। " साबिक जमाबन्दीयात से साबित है कि यह निष्कान्त आवंटित शुद्वा भूमि थी जो सम्वत 2029 से पूर्व आवंटी के नाम दर्ज थी मगर सम्वत 2029 मे भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा बिला आवंटन निरस्त के ही सिवायचक

कर दी गई जो विधिक भूल रही है चूकी दिनांक 25.5.2011 से आज तक निरन्तर वादी कब्जे काश्त की ताईद होती है इसलिए यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तयक ी ... है वादी उक्त परिपत्र के अनुसार राशि जमा राज कोष जमा कराया जाकर खातेदारी ...त करने का अधिकारी है।

आया प्रतिवादी आराजी उक्त पर वादी का कोई सम्बध सरोकार नही है दावा वादी काबिले खारिज है। प्रतिवादी द्वारा विरूद्ध वादी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके की विवादित आराजी से वादी का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है साबिक राजस्व रिकार्ड मे विकेता एवं मौके पर कब्जा बाबत रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार के अनुसार मौके पर वादी का ही कब्जा है जिससे यह नजरअन्दाज नही किया जा सकता कि विवादित आराजी पर वादी का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही हो। तथा प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया है जिससे साबित हो सके की कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया हो , जब आवंटन ही निरस्त नही किया गया तो आवंटी के हकूक कानून द्वारा रक्षित है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि कोडासिह को वेचान का कोई अधिकार नही हो तथा विकेता का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही हो। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबे को गलत रूप से सिवायचक दर्ज किया गया है जो काबिले दुरूस्ती है तथा यह तथ्य प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब मे स्वीकार किया है कि प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र 30.3.2012 के अनुसार न्यायालय श्रीमान क्षेत्राधिकार मे है। इसलिए तय तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

6. अनुतोष :– विवादित आराजी निष्कान्त कृषि भूमि है जो साबिक रिकार्ड मे कोडासिह वैगरा के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि को अवैध हस्तानान्तरण वादी के पक्ष मे होना साबित होता है। मोके पर वादी के कब्जे काश्त की ताईद होती है।

उक्त तनकीयात विरूद्ध प्रतिवादी तय की जा चुकी है तथा विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 941 मी विकेता कोडा सिह वैगरा द्वारा 1–08 बिस्वा वादी द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 25.5.2011 द्वारा खरीद किया तथा रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास एवं पटवारी हल्का के अनुसार मौके पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे से 1 बीघा 08 बिस्वा पर वादी का कब्जा है तथा हाल राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जो भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी तथ्यो एवं आदेश तथा खिलाफ मौका सिवायचक दर्ज किया है जो खिलाफ वादी के हकूको के दर्ज किया है चूकी विवादित आराजी पर वादी का वर्तमान मे कब्जा काश्त है वादी का कब्जा बाखूबी सिद्व होता है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क , शास्ती जमा कराने पर खातेदार अधिकार प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत

ते है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है अतः वाद वादी काबिल डिक्री करार है ।

अतः आदेश है:—

द वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 276/963 रकबा 1.70 हे0 हे. मे से 1—08 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशगनढबास को काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी द्वारा 1250 रू. प्रति बीघा कीमत भूमि मय ब्याज व नियमितिकरण शुल्क 4000 रू. प्रतिबीघा तथा 2000रू. प्रति बीघा की दर से शास्ती जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

मुकुट सिह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)